

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

सं. 24/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 9<sup>th</sup> अगस्त, 2017

सा.का.नि. (अ)---- केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2017 के नियम 23 के उप-नियम (3) और सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2017 के नियम 11 के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खंड 3, उप-खंड(i) की सा.का.नि संख्या 398 (अ). दिनांक 23 मई, 2008 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 24/2008 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) दिनांक 23 मई, 2008 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा उक्त नियमावली के उद्देश्यों के लिए विनिर्मित माल, माल निकासी और निविष्टि व पूंजीगत माल की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित मासिक विवरणी फार्म विनिर्दिष्ट करता है, नामतः

1. विनिर्मित माल, माल निकासी और पूंजीगत माल एवं निविष्टि की प्राप्ति के संबंध में सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों के लिए मासिक विवरणी

फार्म ई.आर-2

मूल/प्रतिलिपि

	माह	माह	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
1. ई ओयू/एसटीपी/ईएचटीपी/बीटीपी इकाईयों द्वारा दाखिल करने के लिए विवरणी, माह:						
केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण संख्या:						
अनुमति पत्र संख्या तथा दिनांक						

2. जीएसटी पंजीकरण संख्या:-



एसएडी (रु.)	अन्य शुल्क (रु.)	कुल सेनवेट देय (रु.)
(23)	(24)	(25)

4. ख. वास्तविक निर्यात एवं प्रदत्त निर्यात शुल्क के ब्यौरे, यदि कोई हों:

क्र.सं.	माल का वितरण	सीटीएसएच संख्या	मात्रा की ईकाई	निर्यातित मात्रा	महीने में निर्यातों का एफओबी मूल्य (रु.)	प्रदत्त निर्यात शुल्क, यदि कोई हो		चालू वित्तीय वर्ष के इस महीने तक निर्यातों का संचयी एफओबी मूल्य (रु.)	5 वर्षों के ब्लाक में इस महीने तक निर्यातों का संचयी एफओबी मूल्य (रु.)
						प्रभावी दर	प्रदत्त शुल्क (रु.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. ग. प्रदत्त शुल्क के ब्यौरे:

क्र.सं.	शुल्क	क्रेडिट खाता (रु.) [सेनवेट क्रेडिट द्वारा प्रदत्त ]	क्रेडिट खाता (रु.) [नकद/बैंक द्वारा प्रदत्त]	चालान		बीएसआर कोड	कुल प्रदत्त शुल्क (रु.)
				सं.	दिनांक		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सेनवेट						
2.	अन्य शुल्क						
3.	निर्यात शुल्क						

5. लेखा सार - वर्तमान (नकद/बैंक भुगतान)

सारांश	राशि रूपयों में
(1)	(2)

अंतशेष	
जोड़े: टीआर-6/जीएआर-7 चालान द्वारा इस माह में किए गए भुगतान(कुल योग)	
घटाएं: इस माह के दौरान माल निकासी पर शुल्कों के भुगतान के लिए उपयोग [विवरणिका की तालिका क्रम संख्या 4 ग के स्तंभ संख्या (3) के तहत दिए गए ब्यौरे के अनुसार उपलब्ध राशि]	
घटाएं: इस माह के दौरान अन्य भुगतान के लिए उपयोग [विवरणिका की तालिका के क्रम संख्या 9 के स्तंभ संख्या (2क) के तहत दिए गए ब्यौरे के अनुसार]	
अन्त शेष	

6 क. इकाई द्वारा शुल्क के भुगतान किए बिना प्राप्त स्वदेशी विनिष्ठियों के ब्यौरे:

क्र.सं.	माल का विवरण	सीईटी एस एच सं.	.मा त्रा की इकाई	प्रावधान जिसके तहत विनिष्ठियों की प्राप्ति हुई		अंतशेष (मात्रा)	माह के दौरान प्राप्ति		
				कें.उ.शु. अधिसूचना संख्या	एफटीपी के प्रावधान		मात्रा	मूल्य (रू.)	छोड़ा गया शुल्क (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5A)	(5B)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.									
2.									
अन्य									

खाता (मात्रा)	इस तरह डीटीए में विकसित		अन्तर यूनिट स्थानान्तर (यदि कोई हो)		अपशिष्ट अथवा नष्ट की गई (मात्रा)	अंतशेष (मात्रा)
	मात्रा	मूल्य (रू.)	मात्रा	मूल्य (रू.)		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

6 ख. इकाई द्वारा शुल्क के भुगतान किए बिना आयातित विनिष्ठियों के ब्यौरे:

क्र.सं.	माल का विवरण	सीईटी एसएच	सीटीएस एच सं	मात्रा की इकाई	प्रावधान जिसके तहत विनिष्ठियों की प्राप्ति हुई	अथशेष	माह के दौरान प्राप्ति
---------	--------------	------------	--------------	----------------	--	-------	-----------------------

		सं			सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या	एफटीपी के प्रावधान		मात्रा	मूल्य (रु.)	छोड़ा गया शुल्क (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6A)	(6B)	(7)	(8)	(9)	(10)

खपत (मात्रा)	ऐसी ही डीटीए में निकासी		अंतर इकाई स्थानांतरण, यदि कोई हो		अपव्यय या नष्ट की गई (मात्रा)	अन्त शेष (मात्रा)
	मात्रा	मूल्य (रु.)	मात्रा	मूल्य (रु.)		
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

7. इकाई द्वारा शुल्क के भुगतान किए बिना प्राप्त पूंजीगत के ब्यौरे:

विवरण	मूल्य (रु.)	
	आयात	स्वदेशोत्पन्न
विवरण		
अथशेष		
माह के दौरान (अंतर इकाई स्थानांतरण सहित) प्राप्ति		
ऐसी ही डीटीए में निकासी		
अंतर इकाई स्थानांतरण के तहत निकासी		
समाप्त किया गया		
अंत शेष		

8. लिए गए और प्रयोग किए गए सनवेट क्रेडिट के ब्यौरे:

क्र.सं.	क्रेडिट के ब्यौरे	सेनवेट (रु.)	एनसीसीडी (रु.)	वित्त अधिनियम, 2005 के खंड 85 के तहत लगाया गया एडीई (रु.)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के तहत लगाया गया अतिरिक्त सीमा शुल्क	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5) के तहत लगाया गया अतिरिक्त सीमा शुल्क

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अथशेष					
2	विनिर्माताओं द्वारा जारी बीजकों में विनिष्ठियों पर लिए गए उत्पाद शुल्क का क्रेडिट					
3	चरण I एवं II के डीलरों द्वारा बीजकों में विनिष्ठियों पर लिए गए उत्पाद शुल्क का क्रेडिट					
4	आयातित विनिष्ठियों पर क्रेडिट लिए गए सीवीडी का क्रेडिट					
5	कुल क्रेडिट					
6	उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क के भुगतान हेतु प्रयोग में लिया गया क्रेडिट					
7	जब जीएसटी के लगाए जाने के बाद उत्पाद शुल्क पर आधारित इनपुट को हटा दिया गया तो उसके बाद उपयोग की गई क्रेडिट					

8	सेनवेट के नियम 6 के अनुसार राशि के भुगतान के लिए उपयोग में लिया गया क्रेडिट					
9	अन्य भुगतान के लिए उपयोग में लिया गया क्रेडिट					
10	अंत शेष					

9. किए गए अन्य भुगतानों के ब्यौरे:

क्र. सं.	भुगतान	भुगतान की गई राशि (रू.)		चालान		बीएसआर कोड	स्रोत दस्तावेज	
		(2क)	(2ख)	(3क)	(3ख)		(5क)	(5ख)
1.	डीटीए में निकासित माल, जिस पर सीमा शुल्क की छूट है, में प्रयुक्ते विनिष्ठियों पर छोड़े गए शुल्क के बराबर प्रदत्त राशि [अधिसूचना सं. 52/2003-केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पैरा 3 के परंतुक के अनुसार, दोनों दिनांक 31.3.2003 के हैं।]							
2.	डीटीए में निकासित माल के उत्पाद में प्रयुक्त विनिष्ठियों अथवा डीटीए में ऐसे ही निकासित विनिष्ठियों पर छोड़े गए पाटन-रोधी डंपिंग शुल्क के बराबर भुगतान राशि							
3.	माल के विबधकीकरण पर शुल्क भुगतान राशि							
4.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत बकाया शुल्क							
5.	अन्य बकाया शुल्क							
6.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज का भुगतान							
7.	अन्य ब्याज का भुगतान							
8.	विविध भुगतान							
9.	कुल योग							

10. स्वयं निर्धारण ज्ञापनपत्र:

(क) मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि इस विवरणी में दी गई सूचना सत्य, सही और सभी प्रकार से पूरी है और मैं निर्धारिती की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूं।

(ख) माह के दौरान कुल रूपये----- टीआर-6 चालान द्वारा जमा करवाए गए थे। (प्रति संगलन)

(ग) माह के दौरान क्रम सं.----- से क्रम संख्या----- तक वाले बीजक जारी किए गए थे।

(निर्धारिती या हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

### पावती

ई.आर2- विवरणी, माह	माह	माह		वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष

प्राप्ति की तारीख	दिन	दिन		माह	माह	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष

रेंज अधिकारी का नाम और मोहर सहित हस्ताक्षर



## अनुदेश

1. क्रम संख्या 1 में 15 अंकों के स्थायी खाता संख्या पर आधारित केंद्रीय उत्पाद शुल्क की पंजीकरण संख्या और क्रम सं. 2 में वह नाम जैसा कि केंद्रीय उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र में व्यक्त है, का उल्लेख किया जाएगा। क्रम संख्या 1 में, विकास आयुक्त द्वारा जारी अनुमति पत्र की संख्या व दिनांक का उल्लेख किया जाएगा।
2. यदि एक मद से अधिक विनिर्मित किये जाते हों तो प्रत्येक तालिका में आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं। उत्पादन और निकासी, शुल्क भुगतान और लिए गए व प्रयोग में लिये गये सेनवेट क्रेडिट के माहवार ब्यौरे संबंधी सूचना देने के लिए संबंधित तालिका को दोहराया जा सकता है।
3. क्रम संख्या 3 की तालिका में स्तंभ (6) में, इकाई द्वारा विनिर्मित माल की पूरी मात्रा, चाहे वह शुल्क भुगतान करके निकासी की गयी हो या नहीं, का उल्लेख किया जाएगा।
- 3.1 क्रम संख्या 3 की तालिका में स्तंभ (10) और (12) में मूल्य तात्पर्य:
  - (क) जहां माल पर शुल्क की यथा मूल्य दर लगती हो, वहां केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 (1) के परंतुक के तहत मूल्य से है;
  - (ख) जहां माल पर शुल्क की विनिर्दिष्ट दर लगती हों, वहां सभी करों को छोड़कर माल के कुल बीजक मूल्य से है;
  - (ग) यथामूल्य और विनिर्दिष्ट शुल्कों के सम्मिलित होने की स्थिति में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3(1) के परंतुक के तहत मूल्य से है;
- 3.2 क्रम संख्या 3 की तालिका में स्तंभ (8) में मूल्य का तात्पर्य एआरई-1/एआरई-2 में घोषित मूल्य से है।
4. क्रम संख्या 4 की तालिका में—
  - (i) यदि किसी विनिर्दिष्ट उत्पादन पर एक से ज्यादा दरें लगती हो तो सभी दरों का अलग-अलग उल्लेख किया जाना चाहिए।
  - (ii) यदि किसी विनिर्दिष्ट उत्पादन पर एक ही महीने में भिन्न दरें लगती हो, तो ऐसे ब्यौरे का अलग-अलग उल्लेख किया जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए: किसी महीने की 10 तारीख को यदि उत्पाद पर उदग्रहणीय शुल्क की प्रभावी दरें बदल जाती हैं तो महीने की 9वीं तारीख तक की अवधि तक और 10 तारीख से महीने के अंतिम तक की अवधि तक के लिए उत्पादन, निकासी और शुल्क के भुगतान से संबंधित ब्यौरे अलग से दिए जाने की जरूरत है।
  - (iii) स्तंभ (7) में, माल निकासी के ब्यौरों का, विदेश व्यापार निति के प्रावधान के अनुसार, जिसके अंतर्गत निकासी की गई है, अलग-अलग उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसा माल जोकि समरूप न हो, जिसकी निकासी विदेश व्यापार नीति के एक ही प्रावधान के अंतर्गत हो, का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए। इस तालिका में निकासी के ब्यौरे डीटीए में ऐसी

निकासी जिसे एनएफई के दायित्व को पूरा करने में गिना गया हो का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए: यदि उत्पाद की निकासी एफटीपी के पैरा 6.8 (क) और पैरा 6.8 (ज) के तहत की गई है, तब निकासी के ब्यौरे का अलग से उल्लेख किया जाएगा। यदि उत्पादन क और ख की निकासी एफटीपी के पैरा 6.8 (क) के तहत की गई हो, तो ऐसी निकासियों का अलग से उल्लेख किया जाएगा।

- (iv) स्तंभ (14) और (21) में शुल्क की प्रभावी दर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना जोकि ई-ओयू/ईएचटीपी/एसटीपी इकाई में विनिर्मित माल और भारत में अन्य किसी स्थान में लाए गए माल के लिए लागू है, के अनुसार गणना की गयी अंतिम शुल्क दर है।
- (v) जहां पर विशिष्ट शुल्क दर है और विनिर्दिष्ट इकाई मात्रा के आधार पर प्रभारित की जाती है, वहां निकासी के आंकड़ों को दर्शाने के लिए उसी मात्रा का कोड प्रयोग किया जाना चाहिए।
5. जहां निर्यात के लिए माल की बॉन्ड या वचनपत्र के तहत निकासी की गई हो, वहां निकासी का विवरण अलग से क्रम संख्या 4ख की तालिका में दिया जाना चाहिए।
6. 8-अंकों वाली सी ई टी एस एच एवं सीटीएस एच संख्या का बिना किसी दशमल बिंदु के उल्लेख किया जाना चाहिए।
7. जहां कहीं मात्रा संबंधी कोड आए, वहां निम्नानुसार उनके शब्द-संक्षेप का उल्लेख करें:

मात्रा	शब्द-संक्षेप
सेंटीमीटर (एस)	सेमी
घन सेंटीमीटर (एस)	सेमी3
घन मीटर (एस)	मी3
ग्राम	ग्रा
किलोग्राम	किग्रा
किलोलीटर	किली
लीटर	ली

मात्रा	शब्द-संक्षेप
मीटर	मी
वर्ग मीटर	मी2
मिलीमीटर	मिमी
मिट्रीकटन	मिट
जोड़ियों की संख्या	पी ए
क्विंटल	क्यू

टन	टी
हजार में संख्या	टीयू
संख्या	यू

8. क्रम संख्या 6क एवं 6ख की तालिका में, प्रत्येक बड़े स्वदेशोत्पन्न/आयातित निविष्टियों के ब्यौरे जोकि निविष्टियों की कुल मूल्य की खपत का स्वतंत्र रूप से 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा का योगदान करती है को अलग-अलग उल्लेखित किया जाना चाहिए एवं सभी अन्य निविष्टियों को एकसाथ 'अन्य' श्रेणी में उल्लेखित किया जाना चाहिए।
9. क्रम संख्या 7 की तालिका में, निकासी या विनिष्ट पूंजीगत माल के सामने आयात/ अधिप्राप्ति के समय पूंजीगत माल के मूल मूल्य का उल्लेख किया जाना चाहिए।
10. क्रम संख्या 4ग की तालिका में, शुल्क भुगतान हेतु चालान के ब्यौरे देना चाहिए। अपीलीय सुविधा के लिए पूर्व शुल्क जमा के चालान तथा अन्य प्रकार के भुगतान का उल्लेख क्रम संख्या 9 की तालिका में किया जाना चाहिए।
11. क्रम संख्या 9 की तालिका में स्तंभ (5) में( शुल्क और ब्याज के बकायों के संदाय के संबंध में मूल आदेश संख्या और तारीख का उल्लेख करें। अन्य विविध संदायों के लिए स्रोत दस्तावेज की संख्या और तारीख का उल्लेख करें। विविध भुगतानों में जुर्माना, प्रतिपादन दण्ड और पूर्व-जमा सम्मिलित है।
12. क्रम संख्या 4ग और 9 की तालिका में बैंक शाखा के बीएसआर कोड को उल्लेखित किया जाना चाहिए।
13. 5 वर्षों की ब्लाक अवधि को इकाई के उत्पादन के प्रारंभ के दिन से गिना जायेगा जैसा कि एफटीपी के पैरा 6.5 के साथ पठित पैरा 6.6(क) में निर्देशित है।
14. इस विवरणी में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप निम्नानुसार है:

बीसीडी- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अनुसार उदग्रहणीय सीमा शुल्क।

सीवीडी- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त शुल्क।

एसएडी- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमा शुल्क।

सेनवेट- केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 (1) के परंतुक के अनुसार उद्घहणीय उत्पाद शुल्क।

एनसीसीडी- राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क।

एडीई- वित्त (सं.2) अधिनियम, 1998 की धारा 111 और वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 133 के अंतर्गत क्रमशः मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल पर उद्घहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क।

निर्दिष्ट उत्पादों पर एडीई- वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के तहत निर्दिष्ट उत्पादों पर उद्घहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क।

सीमा शुल्क का माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर- वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136;137 के आयातित माल पर उद्घहणीय माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर।

डीटीए- घरेलू टैरिफ क्षेत्र का तात्पर्य विशेष आर्थिक जोन और निर्यात उन्मुखी इकाई (ई-ओयू), सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्कस (एसटीपी) इकाई और इलैक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्कस (ईएचटीपी) इकाई और बाँयो टेक्नोलोजी पार्क (बीटीपी) इकाई को छोड़कर भारत के भीतर क क्षेत्र से है।

एफटीपी- विदेश व्यापार (विकास और विनिमय) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) के तहत जारी विदेश व्यापार नीति।

मात्रा- मात्रा।

के.उ.शु.- केंद्रीय उत्पाद शुल्क।

15. तालिकाओं में क्रम संख्या 4 क और 4ग पर, अन्य शुल्कों प्रदत्त/देय, जैसा लागू हो, का निम्नानुसार उल्लेख किया जाएगा:

अन्य शुल्क	शुल्क दर	अधिसूचना संख्या	देय शुल्क
एनसीसीडी			
एडीई			
विशिष्ट उत्पादों पर एडीई			
अन्य कोई शुल्क			
कुल			

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी

फा.सं.207/05/2014-सीएक्स 6

(शंकर प्रसाद शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार